

21.6.18

पंजावली डाक कॅम्प कोर्ट टोडी में पेसा हुई।
पुनरु में तहसीलदार उदयपुरवादी से विपोर्ट ली
गई। रिपोर्ट अनुसार शाम टोडी की सरहद में स्थित
भूमि ख. नं. 442, 441 एवं 383 में सीके पर कोर्ट
ईंट गढ़ा नहीं चला रहा है तथा नहीं उक्त
शेखरा नम्बर की भूमि में कोर्ट गिटी खुदाई हो
रही है। उक्त विवेचन से प्राप्ति द्वारा पुस्तक
प्रार्थना पत्र डा. धारा 177 रा. का. अधिनियम
शाबित नहीं होने से श्वारिक किया जाना चाहिए
क न्यायोचित प्रति होना है।

आदेश

प्रार्थना पत्र डा. धारा 177 रा. का. अधिनियम
शाबित नहीं होने से श्वारिक किया जाना है।

पंजावली कॅम्पल सु. नं. 2002 के नम्बर से नम हो
तथा दारिखेल दफतर से।

विषय डाक डिपेंड 21.6.18 को कॅम्प कोर्ट
टोडी में सुनया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (सुन)